।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : स्था./सैटअप/प्रहरी/प्रशिक्षण/2018/22277-84 दिनांकः– 16.07.2019

स्थायी आदेश क्रमांक :–02/2019

विषय :– नव नियुक्त प्रहरी वर्ग (खेल कोटा) का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

नव नियुक्त प्रहरी वर्ग (खेल कोटा) का 04 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)" संलग्न परिशिष्ट के अनुसार आयोजित किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जाएगी।

प्रशिक्षण समापन पर परीक्षा हेतु गठित बोर्ड निम्नानुसार होगा :–

1. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर – अध्यक्ष
2. पाठ्यक्रम प्रभारी, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर – सदस्य सचिव
3. व्यायाम शिक्षक या एमडीआई या उप कारापाल – सदस्य

प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा के भाग तथा उनके लिये पूर्णांक निम्न प्रकार हैं :–

I. आउटडोर परीक्षा– 100 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक	कालांश
1.	पी.टी. व यू.ए.सी	50	40
2.	ड्रिल	50	40

II. इन्डोर विषय परीक्षा– 250 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक	कालांश
1.	कारागार परिचय एवं नियम	50	40
2.	आचरण एवं सेवा नियम	50	15
3.	कारागार में मानवाधिकार	50	15
4.	संवाद कौशल एवं व्यक्तित्व विकास तथा कारागार में आपात स्थिति	50	15
5.	कम्प्यूटर उपयोग	50	15

III. आन्तरिक मूल्यांकन (प्राचार्य द्वारा)– 50 पूर्णांक

क.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	परिश्रम, कार्य के प्रति रूचि, निष्ठा, अनुशासन एवं आचरण का प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन	50

Scanned by CamScanner

नोट :–

1. आन्तरिक विषय परीक्षा के **प्रश्न पत्र 1 से 3 तक** की परीक्षा एक साथ ली जाएगी जिसकी अवधि 3 घण्टे होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सभी विषयों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार **प्रश्न पत्र 4 से 5 तक** की परीक्षा एक साथ ली जाएगी जिसकी अवधि 2 घण्टे होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सभी विषयों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।

2. प्रशिक्षणार्थियों को गठित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा समग्र परीक्षा में सफल होने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

3. प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण समापन परीक्षा में असफल होने पर उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का एक और अंतिम अवसर दिया जायेगा। इसमें भी असफल होने पर परिवीक्षा काल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्ति योग्य होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा

संलग्न : परिशिष्ट।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर,जोधपुर व उदयुपर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान जयपुर– स्थायी आदेश पत्रावली में रखने हेतु।
6. प्रभारी,कम्पयूटर सैल को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रहरी वर्ग (खेल कोटा) सीधी भर्ती हेतु पाठ्यक्रम
चार सप्ताह अथवा 28 दिवस

पाठ्यक्रम की अवधि	28 दिवस
अवकाश दिवस	04 दिवस
कार्य दिवस	24 दिवस
शून्य दिवस	01 दिवस
परीक्षा अवधि	03 दिवस
शेष कार्यकारी दिवस	20 दिवस
ब्रेक अप इन्डोर कालांश	100 कालांश 20X 5 (चार कालांश दोपहर पूर्व तथा एक कालांश दोपहर बाद)
ब्रेक अप आउटडोर कालांश	80 कालांश 20 X 4
कालांश का समय	प्रति कालांश 45 मिनट

Scanned by CamScanner

आउटडोर परीक्षा

I. पी.टी. (20 कालांश)

2.4 किलोमीटर दौड़ तथा फ्री हैण्ड एवं 5 बी.एक्स. की टेबल 1, 2, 3

उपरोक्त के साथ निम्नांकित भी कराये जाये :–

- काठ का घोड़ा (वुडन होर्स), फ्रन्ट रोल/बैक रोल, चिन अप्स, सिट अप्स
- रस्सी पर चढ़ना
- योगासन
- प्राणायाम

II. ड्रिल

खाली हाथ (40 कालांश)

- सावधान, विश्राम, आराम से
- तेज चाल, दौड़ के चल, धीरे चल, कदमों का फासला एवं कदमों की चाल प्रति मिनट
- खड़े हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें देख
- चलते हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें सेल्यूट
- खड़े हुए सामने सेल्यूट
- फासले से सजना, बिना फासले सजना, लाईन बनाना, गिनती करना, एक लाईन में खड़े होना, दो लाईन में खड़े होना, तीन लाईन में खड़े होना, खुली लाईन, निकट लाईन, विसर्जन होना, मार्च करना, थमना, छोटा कदम, लम्बा कदम, तेज चाल से दौड़ के चल, दौड़ के चल से तेज चल, कदम ताल, दौड़ के कदम ताल, कदम बदलना, तेज चाल से धीरे चाल, धीरे चाल से तेज चाल, स्क्वाड बना एवं दिशा बदल की कार्यवाही
- प्लाटून में खड़े होना का तरीका, प्लाटून में कॉलम एवं लाईन का ज्ञान
- विभिन्न अधिकारियों को सलामी के नियम
- राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेल्यूट, प्रातःकाल एवं सायंकाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा कारागार के मेनगेट को खोलने व बंद करने सम्बंधी नियम
- विभिन्न रेंक की वर्दी एवं सोल्डर डेकोरेशन की जानकारी
- वर्दी सम्बंधी विभागीय नियम एवं वर्दी पहनने का तरीका

Scanned by CamScanner

III. यू.ए.सी. **(20 कालांश)**

- शरीर के नाजुक अंगों की पहचान
- डिसेबलिंग ब्लोज
- पकड़ना/छुड़ाना
- पिस्तौल/चाकू से बचाव
- हाथ/लात का प्रहार
- कराटे

Scanned by CamScanner

इन्डोर परीक्षा

विषय 1. कारागार परिचय एवं नियम

(कुल कालांश : 40)

1.1 कारागार परिचय एवं पृष्ठभूमि

(3 कालांश)

- कारागार का सामान्य अर्थ एवं परिभाषा
- प्रिजन एक्ट 1894 की सामान्य जानकारी
- राजस्थान कारागार नियम 1951 पार्ट, सैक्शन एवं नियमों में शामिल विषयों की मोटी–मोटी रूपरेखा एवं उद्देश्य

1.2 कारागारों का वर्गीकरण

(3 कालांश)

- केन्द्रीय कारागृह
- जिला कारागृह ए एवं बी श्रेणी
- उप कारागार
- महिला बंदी सुधारगृह
- किशोर बंदी सुधार गृह
- बंदी खुले शिविर
- उच्च सुरक्षा कारागृह

1.3 राज्य में कारागार प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा

(3 कालांश)

- विभागाध्यक्ष से प्रहरी पद तक सोपान
- महानिदेशालय की प्रशासनिक संगठनात्मक संरचना
- पर्यवेक्षणीय क्षेत्रिय कार्यालयों का संगठनात्मक स्वरूप
- विभिन्न स्तर के कारागृहों की संगठनात्मक व्यवस्था

1.4 कारागार भवनों का स्वरूप एवं विशेषताएं

(2 कालांश)

- कारागार भवन का घोषित होना (सम्बंधित नियम)
- कारागार भवनों के निर्माण में सुरक्षा का दृष्टिकोण तथा भूमि की उपयुक्तता
- कारागार भवनों का स्वरूप अथवा बनावट

1.5 बंदी वर्गीकरण

(2 कालांश)

- कारागृह में प्राप्त बंदी का न्यायालय द्वारा वर्गीकरण
- कारागृहों में बंदियों के वर्गीकरण के कारण
- विभिन्न प्रकार के बंदियों के लिये नियमों द्वारा वांछित वर्गीकरण, कारागार विभाग में वांछित दायित्व, साक्षात्कार एवं अन्य विशेष व्यवस्थाएं

Scanned by CamScanner

1.6 कारागार पर गेट व्यवस्था **(2 कालांश)**

- कारागार के मुख्य गेट, विकिट गेट की बनावट और इस बनावट का महत्व
- कारागार के मुख्य द्वार को खोले जाने की परिस्थितियां, प्रक्रिया और सावधानियां
- निषिद्ध सामग्री की रोकथाम में गेट का महत्त्व

1.7 कारागार में निषिद्ध वस्तुएं एवं इनके प्रवेश की रोकथाम **(2 कालांश)**

- निषिद्ध वस्तु का अर्थ एवं नियम
- निषिद्ध वस्तुओं के कारागार में आने/लाने के तरीके
- निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश की रोकथाम
- तलाशी के प्रकार – नियमित एवं आकस्मिक, व्यक्तिशः, सामूहिक, सघन

1.8 बंदी साक्षात्कार का महत्त्व एवं व्यवस्था **(2 कालांश)**

- मुलाकात का अर्थ, सिद्धान्त एवं व्यवहार
- बंदी मुलाकात का महत्त्व
- मुलाकात की पात्रता

1.9 बंदी मैस व्यवस्था **(2 कालांश)**

- लंगर क्या है, किस प्रकार कार्य करता है और क्या कार्य करता है
- रसोईघर का प्रभार
- विभिन्न प्रकार के भोजन की स्केल

1.10 बंदी किट (2 कालांश)

- बंदी किट का अर्थ
- पात्रता एवं स्केल

1.11 कारागार में बंदी प्रवेश तथा रिहाई (2 कालांश)

1.12 प्रहरी के गुण एवं सामान्य कर्त्तव्य (3 कालांश)

1.13 क्वार्टर गार्ड (2 कालांश)

Scanned by CamScanner

1.14 कारागृह खोलना एवं बन्द करना **(2 कालांश)**

- तात्पर्य एवं महत्त्व
- सावधानियां एवं तैयारी

1.15 आपातकालीन परिस्थितियाँ **(2 कालांश)**

- बंदी सुरक्षा का अर्थ
- आपात परिस्थितियाँ क्या–क्या है ?

1.16 विभिन्न सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल **(3 कालांश)**

- राजस्थान पुलिस के साथ
- आर.ए.सी. के साथ
- बोर्डर होमगार्डस एवं शहरी होमगार्डस के साथ

1.17 जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी **(3 कालांश)**

- पुलिस प्रशासन
- जिला प्रशासन
- न्यायिक प्रशासन

Scanned by CamScanner

विषय 2. आचरण एवं सेवा नियम (कुल कालांश : 15)

- परिवीक्षा काल,
- स्थाईकरण,
- सेवा निष्कासन (कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के सन्दर्भ में)
- वेतन, देय भत्ते, वेतन वृद्धि के सम्बंध में जानकारी
- राजस्थान सेवा नियम 86 की जानकारी
- सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें किये जाने योग्य इन्द्राजात
- स्थानान्तरण एवं योग काल, यात्रा भत्ता भरने का व्यावहारिक ज्ञान
- प्रहरी द्वारा किये जाने वाले प्रशंसनीय कार्य व उनके सम्बंध में पारितोषिकों की जानकारी
- अनुशासनात्मक कार्यवाही– राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के सन्दर्भ में
- अवकाश एवं उनके नियमों की पूरी जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम

  नियम 4, 4क, 7, 9, 18, 21 व 26

विषय 3. कारागार में मानवाधिकार (कुल कालांश : 15)

- मानव अधिकार की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि
- मानवाधिकार नियम 1993 की सामान्य जानकारी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- राज्य मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय
- मानवाधिकार न्यायालय
- बंदियों के मानवाधिकार
- सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकार
- बंदियों एवं सुरक्षाकर्मियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं

Scanned by CamScanner

विषय 4. संवाद कौशल एवं व्यक्तित्व विकास तथा कारागार में आपात स्थिति

(कुल कालांश : 15)

1. संवाद कौशल (कालांश : 5)

- संवाद कला का परिचय एवं कारागार व्यवस्था के विशेष संदर्भ में महत्त्व
- बंदियों के साथ संवाद
- बंदियों के परिजनों के साथ संवाद
- कर्मचारी एवं अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ संवाद

2. व्यक्तित्त्व विकास (कालांश : 5)

- व्यक्तित्त्व की संकल्पना, अर्न्तमुखी/बर्हिमुखी
- व्यक्ति व संगठन
- व्यक्ति की संगठन में भूमिका
- तनाव, समय प्रबंधन, अभिप्रेरणा

3. आपातकालीन परिस्थितियों में नियन्त्रण एवं कार्यवाही (कालांश : 5)

- कारागार में आपातकालीन परिस्थितियों का वर्गीकरण
- अनुशासनहीनता, लड़ाई, झगड़ा, सामूहिक दंगा, गेंगवार की स्थिति
- स्वास्थ्य सम्बंधी, महामारी का फैलना
- व्यक्ति विशेष की गंभीर स्थिति
- फरारी
- कर्मचारी पर हमला, सामूहिक विद्रोह
- पागल बंदी द्वारा उत्पन्न आपात परिस्थिति
- नियन्त्रण

Scanned by CamScanner

विषय 5. कम्प्यूटर उपयोग (कुल कालांश : 15)

- कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी : सी.पी.यू., मॉनीटर, की बोर्ड और माउस
- इन्टरनेट एवं ब्राउजर का परिचय
- कम्प्यूटर नेटवर्क LAN, WAN का परिचय
- वाई–फाई, लीज लाईन, ब्राड बैण्ड, मोडम की जानकारी
- एम.एस.वर्ड एवं एम.एस. एक्सल, पावर पाइण्ट की जानकारी
- कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर, फिंगर प्रिन्ट डिवाइस, वेब कैमरा
- ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर की जानकारी
- डाटा बैक अप लेना
- विभिन्न वेबसाईट यथा राजस्थान जेल विभाग, एम. एच. ए., एन. सी. आर. बी., बी. पी. आर. डी., राजस्थान पुलिस विभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय इत्यादि के प्रयोग के सम्बंध में सामान्य जानकारी अर्जित करना।
- लाईट्स पर डाटा एण्ट्री करना।

Scanned by CamScanner